

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

2

3

अभिलेख उपस्थापित।

नेमी राम पिता स्व० बासुदेव राम, निवास स्थान सिलवारकला, पोस्ट-जगरनाथ धाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिलवारकला, थाना संख्या-179, खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-575 रकवा 0.0850 एकड़ (8.50 डिसमिल) (आठ दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि नरेश रजक पिता बैजनाथ रजक, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकला, पोस्ट-जगरनाथ धाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-532/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2894/रा० दिनांक 22.08.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1800 दिनांक 13.09.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है, जो आवेदक के पिता वासुदेव राम के नाम से मौजा-सिलवारकला खाता संख्या-76 प्लॉट संख्या-575, रकवा-11.50 डिसमिल भूमि पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-12/5 पर जमाबंदी दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। लगान वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। खतियानी रैयत जुमन मियाँ हैं। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 5.0650 एकड़ भूमि है। जमाबंदी रैयत एवं आवेदक में पिता-पुत्र का संबंध है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 5.0650 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 4.98 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में नेमी राम पिता स्व0 बासुदेव राम, निवास स्थान सिलवारकला, पोस्ट-जगरनाथ धाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिलवारकला, थाना संख्या-179, खाता संख्या-76, प्लॉट संख्या-575 रकबा 0.0850 एकड़ (8.50 डिसिमिल) (आठ दशमलव पाँच शून्य डिसिमिल) भूमि नरेश रजक पिता बैजनाथ रजक, निवास स्थान ग्राम-सिलवारकला, पोस्ट-जगरनाथ धाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>

उपायुक्त  
प्रिचक.  
सेवा